

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

सब्जी विक्रेताओं के व्यवस्थापन व पार्किंग लॉट हेतु स्थलों का निरीक्षण

रतलाम 09 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़क किनारे सब्जी व फल का विक्रय करने वालों के व्यवस्थापन तथा शहर की यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पार्किंग लॉट हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर श्री अभिषेक गेहलोत ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया।

शहर के विभिन्न स्थानों पर फुटकर सब्जी विक्रेता जो कि सड़क किनारे सब्जी व फल का विक्रय करते हैं ऐसे में सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करने से यातायात तो प्रभावित तो होता ही साथ ही गंदगी भी होती है। ऐसे सब्जी विक्रेताओं के व्यवस्थापन व पार्किंग लॉट हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया व अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर श्री गेहलोत ने त्रिवेणी मुक्तिधाम के पास सी.सी. रोड, मानस भवन के पीछे रिक्त भूमि, 80 फीट रोड रत्नपुरी कालोनी के पीछे ग्रीन बेल्ट की भूमि व सैलाना ओवर ब्रीज के नीचे राम मंदिर की ओर वाले हिस्से का अवलोकन किया।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री विकास मरकाम आदि उपस्थित थे।

*खुले में शौच करने पर 2 व्यक्तियों पर होगी वैधानिक कार्यवाही
नगर निगम ने थाना प्रभारी को दिया पत्र*

रतलाम 09 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा गठित दल द्वारा खुले में शौच व पेशाब करने वालों पर सत्त निगरानी रखी जा रही है जिसके तहत प्रातः हनुमान ताल के निरीक्षण के दौरान 2 व्यक्ति खुले में शौच करते पाये जाने पर उन्हें औद्यागिक क्षेत्र थाने में वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

नगर निगम के गठित दल द्वारा प्रातः हनुमान ताल के निरीक्षण के दौरान सतीश शर्मा ठेकेदार निवासी डी.सी. 169 अलकापुरी के 2 कर्मचारी भुरा-राणासिंह कर्मचारी निवासी नेपाल व प्रभु-गौतम निवासी पीपलीपाड़ा खुले में शौच करते पाये गये जबकि हनुमान ताल के पास नगर निगम का सार्वजनिक शौचालय है जिसका उपयोग आसपास के रहवासी करते हैं। सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध होने पर भी उक्त व्यक्तियों द्वारा खुले में

शौच करने पर संबंधितों को औद्यागित थाने में प्रस्तुत कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

शहर को कचरा मुक्त करने में जनता भी सहभागी बने शक्तिनगर क्षेत्र में महिलाओं ने श्रमदान के माध्यम से सफाई कर रांगोली निर्माण से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 09 दिसम्बर । अपने घरों के साथ ही आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर होने से जहां एक और हम तमाम बीमारियों से बच सकते है वही पर्यावरण को भी स्वच्छ और सुंदर बना सकते है। नगर निगम प्रशासन के माध्यम से विगत माह से शहर के कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जाकर वहां रांगोली के माध्यम से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश लगातार दिया जा रहा है। इस अभियान में अगर वार्ड के लोगों की सहभागिता बढ़ती है तो हम प्रदेश और देश में रतलाम को भी स्वच्छता की दौड़ में नम्बर -1 बना सकते है।

बुधवार को शहर के शक्ति नगर इलाके में समाजसेवी कुसुम गजेन्द्र चाहर ने क्षेत्रीय रहवासियों और निगम कर्मियों के साथ श्रमदान करते हुए दो कचरा स्थलों को कचरे से मुक्त कर वहां सफाई मित्र समूह के सदस्यों के साथ स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली का निर्माण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय महिलाओं और बच्चों ने वार्ड को कचरा मुक्त और स्वच्छ व सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों,

खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की रीना मालवीय, फातेमा शेख, नाजनीन, नसीम और जया शर्मा सहित इनकी टीम ने कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आह्वान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे में हमें मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

इसके आवा जवाहर नगर सी कालोनी, धोलावाड़ ऑफिस, अलकापुरी सर्कल, विनोबा नगर, गांधी नगर राधा-कृष्ण मंदिर के सामने, अलकापुरी सीतला माता मंदिर के पास, वरदान नगर हनुमान मंदिर के सामने, गुजरात मैरिज हॉल, सज्जन मिल बावड़ी की चाल, 80 फीट रोड वैशाली गार्डन के सामने, जैथ पब्लिक स्कूल, शारदा गौरव स्कूल, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, सनसिटी गेट नम्बर 2, राज रेस्टोरेंट के पीछे नेशनल बैंक के पास, सज्जन मिल गेट, पद्मश्री की गली, पुराना बस स्टैण्ड ओवर ब्रीज के नीचे, सैलाना बस स्टैण्ड, नयागांव, मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास, इन्द्रलोक नगर, महेश नगर शिव मंदिर के पास, नारायण पहलवान की चाल, बरबड़ हनुमान मंदिर, बरबड़ जीन टंकी के पास, रघुवीर आश्रम व बाबा मूरखदास आश्रम के सामने स्वच्छता का संदेश देती रांगोली बनाई गई।

सीसीटीवी फुटेज आधार पर राममंदिर क्षेत्र की महिला हेमलता पर जुर्माना गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना

जुर्माने के रूप में 8,000/- की राशि वसूली

रतलाम 09 दिसम्बर | नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहाँ-वहाँ डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राम मंदिर क्षेत्र की हेमलता पर 500 रुपये का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व अतिक्रमण करने पर कसारा मांगलिक भवन कसारा बाजार पर 2000, लोकेन्द्रनाथ धर्मशाला हरमाला रोड पर 1000, दलाल मार्केटिंग, नासिर भाई मारवाड़ी लौहार रोड, शांति विजय रेस्टोरेंट डाट की पुल, एम.पी. 43 कलेक्शन, ई शॉपी पोरवाल इलेक्ट्रीकल जवाहर नगर पर 500-500, कैलाश-हुकमचन्द, भुलीबाई, केसरबाई, रेखा, रानी, चम्पाबाई व सुशील जैन डाट की पुल पर 250-250 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

**कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना**

रतलाम 09 दिसम्बर | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाइट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर

अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त 48 दिनों में 73 वॉल्व व 368 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण 5 सार्वजनिक शौचालयों की करवाई पाईप फिटिंग

रतलाम 09 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 09 दिसम्बर तक 73 वॉल्व व 359 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 09 दिसम्बर बुधवार को थावरिया बाजार टंकी, हाकमवाड़ा, राठौर समाज की धर्मशाला के सामने, जावरा रोड काम्पलेक्स के सामने, आनन्द कालोनी रोकड़िया हनुमान मंदिर के सामने, लक्कड़पीठा दम्मानी भवन के सामने, विनोबा नगर, शक्ति नगर, गणेश नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही आमलिया भेरू, सज्जन मिल की चाल, पद्मश्री के पीछे, 80 फीट रोड व बिरियाखेड़ी स्कूल के पास के सार्वजनिक शौचालय/माड्यूलर टायलेट/मूत्रालय की पाईप फिटिंग करवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

प्रताप नगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 36,50,160/- संपत्तिकर व 9,69,145/- जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 09 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/- व जलकर 31,700/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/- व जलकर 13,500/-, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/- व जलकर 29,500/-, डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/- व जलकर 80,000/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/- व जलकर 24,800/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/- व जलकर 46,350/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/- व जलकर 45,500/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/- व जलकर 90,310/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/- व जलकर 1,58,845/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/- व जलकर 24,500/- की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 36,50,160/- संपत्तिकर व 9,69,145/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के वार्ड क्रमांक 28 के लिये 10 से 11 दिसम्बर तक प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्द्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 12 मवेशी स्वच्छंद विचरण करने वाले 364 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 09 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले

मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 09 दिसम्बर तक 364 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर क्रय किया गया जिससे 12 मवेशियों को नगर के प्रमुख स्थानों से पकड़कर गौशाओं में भेजा गया। नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 09 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 364 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 09 दिसम्बर बुधवार को अलकापुरी, डोगरे नगर, मुखर्जी नगर, बाजना बस स्टैण्ड, धीरजशाह नगर, दो बत्ती, अलकापुरी आदि स्थानों 12 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/09.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.